<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील</u> <u>चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र0</u>

दांडिक प्रकरण क.— 100/14

संस्थित दिनांक- 14.02.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- 1. मुकेश उर्फ माधौराव पुत्र दशरथ देसाई उम्र 50 साल
- 2. शिवाजी राव पुत्र रामचन्द्र राव मराठा उम्र 57 साल
- 3. जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवाजी राव मराठा उम्र 28 साल
- 4. कपिल पुत्र मुकेश देसाई उम्र 23 साल सभी निवासीगण ग्राम देसाईखेडा, पिपरई जिला अशोकनगर म०प्र०

.....अभियुक्तगण

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 15.03.17 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 323/34, 324, 324/34, 506 भाग दो के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 25.11.2013 को दोपहर 03.30 बजे ग्राम देसाई खेडा में फरियादी लक्ष्मण का रास्ता रोककर कर सदोष अवरोध कारित कर फरियादी लक्ष्मण के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी लक्ष्मण को शिवाजी, कपिल व जीतू ने लातघूंसों व मुकेश ने धारदार हथियार चाकू से मारपीट कर स्वैच्छया उपहित कारित की व संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.11.13 को दोपहर 3:30 बजे फरियादी विधान सभा चुनाव में बीजेपी का एजेण्ट था। अभियुक्त मुकेश देसाई व शिवाजी मराठा, कपिल व जीत मराठा चारों आये और बोले की वोट डालने दो वह

लोग फर्जी वोट डाल रहे थे, जिसे फरियादी ने मना किया, इसी बात पर से चोरों अभियुक्तगण फरियादी लक्ष्मण की मारपीट करने लगे। मुकेश ने लात मारी जो फरियादी के दाहिने पैर की जांघ में लगी जिससे मूंदी चोट आई। फरियादी लक्ष्मण को अभियुक्तगण ने बाहर खींच लिया और चारों अभियुक्तगण ने पटक पटक मारपीट की। जिससे फरियादी के पीठ में जगह—जगह छिल गया व शरीर में जगह—जगह मूदी चोटें आई। जब फरियादी लक्ष्मण ने कहा कि वह पुलिस को फोन लगाता है तो मुकेश ने चाकू की मारी जिससे फरियादी ने बचाव किया तो उसके दाहिने हाथ की गद्दी में लगी जिससे खून निकल आया। कपिल ने जान से मारने की धमकी दी उक्त घटना के समय परमराम व गावं वाले थे। फरियादी लक्ष्मण के द्वारा थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथित 1 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी लक्ष्मण की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक—241/13 अंतर्गत धारा 341, 323, 324, 506 बी, 34 भाठद०विठ के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—15.03.17 को फरियादी लक्ष्मण सिंह के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 323/34, 506 भाग दो के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा 324, 324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झुठा फसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्तगण दिनांक 25.11.13 को दोपहर 03:30 बजे फरियादी लक्ष्मण को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त मुकेश ने फरियादी का धारदार चाकू से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
 - 2. दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

06— फरियादी लक्ष्मण सिंह (अ०सा० 1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि तीन—चार वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव के समय जब वह बीजेपी पार्टी के एजेण्ट के तौर पर ग्राम 3

देसाईखेडा मतदान केंद्र पर कार्य कर रहा था, तो मतदान केंद्र के बाहर पार्टी बंदी के कारण उसकी पार्टी के लोगों का आरोपीगण से विवाद हो गया था। फरियादी लक्ष्मण सिंह (अ०सा० 1) के अनुसार आरोपीगण से उसका विवाद नहीं हुआ था बल्कि उसकी पार्टी के लोगों का विवाद हुआ था। फरियादी का यह भी कहना है कि पार्टी के लोगों के कारण वह थाने पर गया था तथा वह यह तक बताने के रिथित में नहीं है कि प्र0पी० 1 की रिपोर्ट पर उसने अंगूठा निशानी किया था अथवा नहीं, परन्तु नक्शा मौका प्र0पी० 2 पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

- 07— लक्ष्मण सिंह (अ०सा० 1) अभियोजन का प्रमुख गवाह होकर घटना में फरियादी होने के साथ घटना में आहत भी है, परन्तु इस साक्षी ने अभियोजन कहानी के विरुद्ध अपने न्यायालीन कथनों में स्वयं के साथ आरोपीगण का कोई विवाद न होना बताया है तथा पार्टी के लोगों के साथ आरोपीगण का विवाद होना बताया है, जिनके नाम तक उसने स्पष्ट नही किये हैं। यह साक्षी आरोपीगण के विरुद्ध थाने पर रिपोर्ट करने न जाना बताते हुयें पार्टी के लोगों के कारण उनके साथ थाने पर जाना बताता है। फरियादी लक्ष्मण सिंह (अ०सा० 1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी० 1 में लेखबद्ध करायी गई घटना के विपरीत होने से उसका न्यायालय द्वारा विस्तारपूर्वक परीक्षण किया गया, परन्तु फरियादी लक्ष्मण सिंह (अ०सा० 1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथनों पर अटल रहते हुये अभियोजन के समर्थन में घटना के संबंध में कोई कथन नही दिये।
- 08— अभियोजन कहानी के अनुसार पोलिंग बूथ पर आरोपीगण द्वारा फर्जी मतदान करने का प्रयास करने पर आरोपीगण का फरियादी से विवाद हुआ था जिसमें आरोपीगण ने पोलिंग बूथ से खेंचकर फरियादी के साथ मारपीट की थी तथा आरोपी मुकेश ने फरियादी की हाथ गदेली पर चाकू मारा था, उपरोक्त घटना के विपरीत फरियादी लक्ष्मण सिह (अ०सा० 1) का कहना है कि फर्जी वोट डालने के संबंध में उसके साथ आरोपीगण का कोई विवाद हुआ न ही आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी ने इस बात का भी खण्डन किया कि मुकेश ने उसके दाहिने हाथ की गदेली में चाकू मारा था और जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी के अनुसार प्र०पी० 1 की रिपोर्ट में लेख घटना की जैसी कोई घटना उसके साथ नही हुई और न ही उसने पुलिस को प्र०पी० 1 की रिपोर्ट व प्र०पी 2 के पुलिस कथन लेखबद्ध कराये। फरियादी का स्पष्ट कहना है कि विवाद पार्टी के लोगों के साथ हुआ था उसके साथ नही हुआ था तथा घटना में उसे कोई चोटें नही आई।
- 09— फरियादी लक्ष्मण सिंह (अ०सा० 1) के द्वारा अभियोजन कहानी के विरूद्ध कथन देने से एवं स्वयं के साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट की घटना से इन्कार करने एवं मुकेश द्वारा दाहिने हाथ की गदेली में चाकू मारने की घटना का खण्डन कर स्वयं को कोई चोट न आना बताने के कारण अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं होती है। निश्चित रूप से प्रकरण में फरियादी व आरोपीगण के मध्य राजीनामा होना स्वीकृत है, जिसका प्रभाव फरियादी के कथनों में भी हो सकता है, परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट पर फरियादी के अंगूठा निशानी तथा नक्शा मौका प्रथपी० 2 पर उसके हस्ताक्षर होना निश्चित रूप से संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति हस्ताक्षर करने में सक्षम है तो उसका अंगूठा निशानी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी० 1 पर क्यों लिया गया।
- 10— किसी भी प्रकरण में दोषसिद्ध के लिये अभियाजन को अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है परन्तु इस प्रकरण में अभियोजन के मुख्य साक्षी एवं घटना में आहत

4 <u>दांडिक प्रकरण क.- 100 / 14</u>

बताये गये फरियादी लक्ष्मण सिंह (अ०सा० 1) के द्वारा अभियोजन घटना के विरूद्ध स्वयं के साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट की घटना एवं घटना में स्वयं को चोट आने का खण्डन करने से अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 25.11.13 को दोपहर 03:30 बजे फरियादी लक्ष्मण को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त मुकेश ने फरियादी को धारदार चाकू से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की

- 11— फलस्वरूप अभियुक्तगण मुकेश उर्फ माधौराव पुत्र दशरथ देसाई, शिवाजी राव पुत्र रामचन्द्र राव मराठा, जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवाजी राव मराठा, कपिल पुत्र मुकेश देसाई के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा 324, 324/34 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण मुकेश उर्फ माधौराव पुत्र दशरथ देसाई, शिवाजी राव पुत्र रामचन्द्र राव मराठा, जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवाजी राव मराठा, कपिल पुत्र मुकेश देसाई को भा०दं०वि० की धारा 324, 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 12— <u>अभियुक्तगण मुकेश उर्फ माधौराव पुत्र दशरथ देसाई, शिवाजी राव पुत्र रामचन्द्र राव मराठा, जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवाजी राव मराठा, कपिल पुत्र मुकेश देसाई के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्तगण का धारा—428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नही।</u>

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)